न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 23/2021 दायर दिनाँक 02.02.2021

वादी

1. रामेश्वरलाल पुत्र स्व0 बिरदाराम उम्र 68 वर्ष जाति जाट निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. नरपतसिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
2. प्रदीप कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी बांसा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
3. कुन्दनी देवी पत्नि रामेश्वर बलारा जाति जाट निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
4. दीन दयाल शर्मा पुत्र रामलाल शर्मा
5. कमल किशोर पुत्र रतनलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
6. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवारा एवं घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **20.04.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी ने एक राजस्व भूमि शरहद मौजा मौलासर में अवस्थित खसर सं0 62 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा में से 4.591 बिस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के खरीद की है तथा खरीद की दिनांक से वादी एवं वादी के परिवार का राजस्व भूमि पर अबाध व निर्बाध रूप से भौतिक व वास्तविक रूप से निरन्तर कब्जा, स्वामित्व उपयोग उपभोग वादी का निरन्तर आज दिन तक चला आ रहा है।

यह है कि वादी ने अपनी राजस्व भूमि पर के.सी.सी. एवं भू–रूपान्तरण के लिए जब अपनी रजिस्टर्ड खरीद सुदा राजस्व भूमि की नकल खतौनी प्राप्त की, तब संज्ञान में आया की वादी ने जो खातेदारी की भंवर सिंह पुत्र नारायण सिंह कौम राजपुत निवासी मौलासर की राजस्व भूमि ग्राम मौलासर, पटवार क्षेत्र मौलासर में अवस्थित खसरा सं0 62 रकबा 4.591 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 26.04.2006 को भंवर सिंह द्वारा झीमा पत्नि भंवाराराम देवी को बैचाण तथा झीमा देवी द्वारा वादी ने क्रय की है, उस पर नामान्तकरण वादी का दर्ज सहवन से नही होने से भंवर सिंह के विधिक उत्तराधिकारियों के नाम बाद बैचाण प्रतिवादी सं0 01 एवं भंवर सिंह की पत्नि उच्छब कंवर की भी मृत्यु हो चुकी है, जिससे वादी को वाद घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:06:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

यह है कि बिनाय दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पैदा हुआ है, जब दिनांक 21.10.2020 को वादी ने राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रति अपनी खरीद सुदा राजस्व भूमि की प्राप्त की, तब भंवर सिंह से झीमा देवी पत्नि भंवराराम से खरीद के बाद वादी की जगह एवं स्थान पर भंवर सिंह के विधिक वारिसान का नामान्तकरण दर्ज हो गया है, जिससे वादी को अपने क्रय एवं कब्जा उपयोग, उपभोग की राजस्व भूमि पर वाद घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती बंव्वारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी आया है।

यह है कि वादी का अनुतोष निम्न है :–

यह है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें की वादी की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से क्रय की गई खतौनी ग्राम मौलासर, पटवार हल्का क्षेत्र मौलासर, भू–अभि0 नि0 क्षैत्र मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर में अवस्थित खसरा सं0 62 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से वादी की राजस्व भूमि 4.591 बिस्वा भूमि को जरिये घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती कर अलग से बंटवारा किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया। प्रतिवादी सं0 01 ता 05 बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनसुार वादी द्वारा क्रय सुदा हिस्से का नामान्तकरण वादी के नाम अब तक नही होकर भूमि पूर्व खातेदार/विक्रेता के नाम ही दर्ज है व वादी द्वारा क्रयसुदा हिस्से की भूमि पर वादी का कब्जा पुख्ता निमार्ण है। अतः वादी के नाम खातेदारी घोषित किया जाना उचित प्रतित होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै मौलासर के खेत खसरा सं0 62 रकबा रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा में से 4.591 बिस्वा भूमि में वादी को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **13.04.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:06:21 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with Oken Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 23/2021 दायर दिनाँक 02.02.2021

वादी

1. रामेश्वरलाल पुत्र स्व0 बिरदाराम उम्र 68 वर्ष जाति जाट निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. नरपतसिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
2. प्रदीप कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी बांसा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
3. कुन्दनी देवी पत्नि रामेश्वर बलारा जाति जाट निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
4. दीन दयाल शर्मा पुत्र रामलाल शर्मा
5. कमल किशोर पुत्र रतनलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवारा एवं घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 20.04.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै मौलासर के खेत खसरा सं0 62 रकबा रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा में से 4.591 बिस्वा भूमि में वादी को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 20.04.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:06:21 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner